तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **वेदप्रकाश बनाम श्रीमती सिटोरी** **40/14 (आरसीएमएस नं. 2014/00032)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.07.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 श्रीमती सिटोरी की ग्राम गौरीर, ग्राम पंचायत गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधूति में धारित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2206 रकबा 0.96 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2207 रकबा 0.37 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2208 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2209 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2210 रकबा 0.42 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2211 रकबा 0.31 हैक्टयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.54 हैक्टयर है जिसके पास ही अपीलार्थीगण की कृषि भूमि व आवासीय मकानात स्थित है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि के औधोगिक प्रयोजन (ईट भट्टा) हेतु संपरिवर्तन के लिये प्रत्यर्थी संख्या 2 के यहॉ आवेदन किया था जिसमें दिनांक 21.01.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने आदेश क्रमांक राजस्व/भू.रू./14/42–45 के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 की खातेदारी अभिधूति में धारित कृषि भूमि में से 2.54 हैक्टयर सम्पूर्ण का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 13 अकृषिक प्रयोजन के लिये नियमितिकरण किया गया, जिसकी जानकारी होने पर नकल प्राप्त करने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 10.02.2014 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के यहॉ आवेदन किया गया एवं दिनांक 14.02.2014 को आदेश दिनांक 21.0.2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी खेतड़ी ने विधि एवं पत्रावली पर उपलबध तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित जाकर विभिन्न कानूनी प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित फैसलों को पूर्णतया नजरअन्दाज कर जानबुझकर प्रत्यर्थी संख्या 1 की कृषि भूमि का संपरिवर्तन किया गया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) खेतड़ी जिला झुन्झुनू द्वारा पारित	

सभागीय आयुक्त
जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **वेदप्रकाश बनाम श्रीमती सिटोरी** **40/14 (आरसीएमएस नं. 2014/00032)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2014 को अपास्त किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदार द्वारा वादग्रस्त आराजी पर ईट भट्टा की अनुमति हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन). नियम 2007 के नियम 13 अकृषिक प्रयोजन के लिये नियमतिकरण (संपरिवर्तन) आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को कानूनन प्रदत्त नही होने से अपीलान्ट की अपील पर न्यायालय हाजा के स्तर पर अग्रिम कार्यवाही संभव नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नही होने से खारिज की जाती है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।